सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 52 राँची, मंगलवार, 10 माघ, 1939 (श०) / 30 जनवरी, 2018 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

संकल्प

30 जनवरी, 2018

विषय- दिनांक 7 नवम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में टाना भगतों के भूमि का वर्ष 1956 से भुगतेय सेस की राशि 61,63,209/- (एकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ रूपये) की माफी एवं भविष्य में टोकन के रूप में मात्र 1/- रूपये का सेस की वसूली कर रसीद निर्गत करने के संबंध में ।

संख्या- 6/टाना भगत-318/2017- 428-- झारखण्ड राज्य में टाना भगत अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं । ऊराँव संत स्व० जतरा भगत एवं तुरिया भगत द्वारा टाना भगत का गठन किया गया था । ये लोग **1914** के टाना भगत आंदोलन से संबंधित है । महात्मा

गाँधी के सत्याग्रह आंदोलन के पूर्व इनके द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया था । यह आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजों के शासन एवं जमींदारी प्रथा के विरूद्ध किया गया था । ये लोग महात्मा गाँधी के अनुयायी हैं एवं अहिंसा में विश्वास रखते हैं । ये अभी भी खादी कुर्ता, धोती एवं गाँधी टोपी पहनते हैं । ये लोग मुख्य रूप से राँची, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, खूँटी, चतरा एवं लातेहार जिला में रहते हैं ।

2. टाना भगतों को मुख्यधारा में लाने एवं इनके सर्वांगीण विकास हेतु इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को समझते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या-**2121**/रा., दिनांक **28 अप्रैल, 2017** द्वारा मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में टाना भगत विकास प्राधिकार (**Tana Bhagat Development Authority**) का गठन किया गया है । उक्त संकल्प के अनुरूप टाना भगत विकास प्राधिकार की एक कार्यकारिणी समिति अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित की गई है । टाना भगत विकास प्राधिकार का सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, **1860** के अंतर्गत निबंधन कराया गया है । जिसका निबंधन संख्या- **418,** वर्ष- **2017-18** है ।

3. दिनांक **7 नवम्बर**, **2017** को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टाना भगतों के साथ सम्पन्न बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेशित किया गया है कि पूर्व से टाना भगतों द्वारा धारित **10** एकड़ तक की भूमि के लगान मुक्त होने के अतिरिक्त टाना भगतों की भूमि का वर्ष **1956** से भुगतेय सेस की राशि मो० **61,63,209/-** (एकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ) रूपये की माफी एवं भविष्य में टोकन रूप में मात्र **1/-** रू० का सेस की वसूली कर रसीद निर्गत की जायेगी ।

4. उक्त संदर्भ में मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में टाना भगत विकास प्राधिकार की दिनांक **30 नवम्बर**, **2017** को संपन्न बैठक की कार्यवाही की कंडिका-**2** में भी निदेशित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की दिनांक **7 नवम्बर**, **2017** को संपन्न टाना भगतों के साथ बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में वर्ष **1956** से भुगतेय सेस की राशि की माफी हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग प्रस्ताव गठित कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करेगा तथा भविष्य में टोकन रूप में मात्र **1/-**रू० सेस की वसूली करते हुए रसीद निर्गत किया जायेगा ताकि टाना भगतों की पहचान बनी रहे ।

5. माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा दिये गये उक्त निदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि "**टाना भगतों द्वारा धारित** 10 **एकड़ तक की भूमि को लगान मुक्त करने के अतिरिक्त वर्ष** 1956 **से उनकी भूमि का बकाया सेस की राशि मो०** 61,63,209/- (**एकसठ लाख तिरसठ हजार दो सौ नौ रूपये) को माफ करते हुए भविष्य में टोकन के रूप में मात्र** 1/- **रू० सेस की वसूली कर रसीद निर्गत की जायेगी**, **ताकि टाना भगतों की पहचान बनी रहे ।"**

उक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक **24 जनवरी, 2018,** के मद सं०**- 20** के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 52 -- 50